रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21 2013/फाल्गुन 2, 1934
No. 104] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 115(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उपधारा 2 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में -

(i) नियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" 25क. **कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप**.- कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप छठी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा।";

(ii) मूल नियमों की पांचवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत में जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"छठी अनुसूची

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 18 की उपधारा (1) देखिए]

(आवेदक के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएं तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें ।)

1. आवेदकों की पहचान :

कृषक ☐

कृषक का समुदाय ☐

कृषक का समूह ☐

टिप्पण : पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अंतर्विष्ट कृषकों या कृषकों के समुदाय या कृषकों के समूह द्वारा कृषकों की किस्म के लिए आवेदन या तो संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या जिला जनजाति विकास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. आवेदक (आवेदकों) का/के नाम

[यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां डालें]

क. क्रम संख्यांक

ख. नाम

ग. पूरा पता

घ. राष्ट्रीयता

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप पीवी - 1 में प्राधिकार संलग्न करें)

नाम : .....

पता : .....

पिन : .....

दूरभाष : .....

फैक्स : .....

ई-मेल : .....

4. किस्म की साधारण जानकारी :

क. फसल का सामान्य नाम : .....

ख. वानस्पतीय नाम : .....

ग. कुल : .....

घ. अभिधान (बड़े अक्षरों में) : .....

टिप्पण : वानस्पतीय नाम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है ।

5. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

प्रारूपिक किस्म

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

टिप्पण : प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों से व्यावृत प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है । (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी हैं ।)

6. कृषक/ कृषकों के नाम और पते जिसने/जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है

नाम : .....

पता : .....

दूरभाष : .....

फैक्स : .....

ई-मेल : .....

राष्ट्रीयता : .....

टिप्पण :एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं । यदि कृषकों के समूह या समूह द्वारा किस्म विकसित और बनाई रखी जाती है तो यह उपाबंध-1 में पृष्ठांकित होगी ।

7. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है

हां नहीं

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित बताएं :

किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख : .....

वह देश जहां संरक्षण किया गया है (यदि कोई हो) : .....

प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाएं)

प्रयुक्त अभिधान : .....

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो : .....

मैं/हम..... घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवंशिक सामग्री या मूल सामग्री विधिपूर्वक अर्जित की गई है ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे) :-

(क) पूरा आवेदन :

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध 1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार) :

उपाबंध - 1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक/ कृषक समूह / कृषक समुदाय का/के नाम

क्रम सं.	उपनाम सहित नाम/समूह का नाम/ समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. किस्म का अभिधान : .....

3क (व्यष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूं कि मैं ..... राज्य के .... जिसमें ..... स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव .... में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूं और यह कि मैं और मेरा परिवार .... वानस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ..... प्रकार के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक हैं ।

3ख. (आवेदक कृषकों के समूह/ समुदाय को लागू)

हम घोषित करते हैं कि हम ..... राज्य के .... जिले में ..... स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत ..... गांव में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वानस्पतिक प्रजाति के प्रकार ..... (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक हैं । हम अपने समूह/समुदाय की ओर से श्री ..... पुत्र श्री ... . (नाम) को जो हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और .... (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी हैं, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

तारीख .....

स्थान .....

हस्ताक्षर

कृषक का नाम

समूह/समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति

(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गांव के स्वामी निवासी हैं प्रजनित/विकसित और निरंतर संरक्षित हैं तथा केवल उसी की खेती की जाती है और मैं आवेदक कृषक/कृषक के समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूं तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है । (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए ।)

तारीख .....

स्थान .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सचिव
अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा
संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा
संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी)
(पदीय स्टाम्प सहित)

[फा. सं. 1-15/2012-एस.डी. V]
डॉ. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 738 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. 731 (अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. 319(अ) तारीख 11 मई, 2009, सा.का.नि. 783 (अ) तारीख 27 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 901(अ) तारीख 17 दिसंबर, 2009 और सा.का.नि. 949(अ) तारीख 3 दिसंबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

G.S.R. 115(E).— *In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of sub-section (2) of section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001(53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Rules, 2003 namely:-*

1. Short title and Commencement. – (1) These rules may be called Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 (here in after referred to as the principal rules),

(i) after rule 25, the following rule shall be inserted, namely:

"25A .**Application form for registration of farmers' variety.**- The application form

for registration of farmers' variety shall be as specified in the Sixth Schedule.";

(ii) after the Fifth Schedule of the principal rules, the following schedule shall be added at the end, namely:-

"SIXTH SCHEDULE

APPLICATION FOR REGISTRATION OF FARMERS' VARIETY UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETY AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001.
[See proviso to sub-section (1) of section 18]

(Instruction to applicant: Wherever a box item appears against queries, please tick the relevant box and provide legibly written/typed response in other queries.)

1. Identity of the Applicant(s):
FARMER ☐

COMMUNITY OF FARMERS ☐

GROUP OF FARMERS ☐

Note: Application for farmers' variety by farmers or community of farmers or group of farmers as contained in the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 shall be submitted only with an endorsement in Annexure 1 either by the concerned Panchayat Biodiversity Management Committee, or District Agricultural Officer, or Director of Research of concerned State Agricultural University or District Tribal Development Officer.

2. Name(s) of Applicant(s)
[Insert additional rows, if required]
a. Serial Number.
b. Name
c. Complete Address
d. Nationality

3. Name and Address of the Person to whom Correspondence related to this application is to be sent: (Attach authorisation in Form-PV-1, if required)

Name _____
Address _____
_____
Pin _____
Telephone: _____
Fax: _____
E-mail: _____

4. General Information of the Variety:
a. Common name of the Crop: _____
b. Botanical name: _____
c. Family: _____
d. Denomination (in block letters): _____

Note: Botanical names mean the scientific name approved by the International Code for Nomenclature of Cultivated Plants, 2004.

5.(a.) Classification of the Candidate Variety:
TYPICAL VARIETY
OTHER (SPECIFY)
Note: Typical variety means a variety, which is not a hybrid or an essentially derived variety and normally propagated by using propagules saved from previous crop production cycles (Example: pure lines including parental lines/composite varieties or vegetative propagated varieties).

6. Names and Addresses of farmer(s) who has/have bred the Candidate Variety:
Name: _____
Address: _____
_____
Telephone: _____
Fax: _____
E-mail: _____
Nationality: _____

Note: In case of more than one breeder, mention all names as (ii), (iii) and so on in the above format. If required insert extra page. In the case the variety is evolved and conserved `by group or community of farmers', it shall be endorsed in Annexure I.

7. Has the candidate variety been commercialised or otherwise exploited?
☐Yes ☐No
If yes, please indicate the following:
Date of the first sale of the variety: _____
Country (ies) where Protection is made (if applicable)
_____
Variation in important trait with Respect to first filing: (attach sheet)
Denomination used _____
Trademark used, if any: _____

I/we _____ hereby declare that the genetic material or parental material acquired for breeding, evolving or developing the variety has been lawfully acquired.

(Signature of the Applicant)

Following are the attachments (duly signed/seal) submitted along with of the application (note that wherever signature is affixed in the application or attachments, all such signatures shall be in the original):

(a) complete application ;
(b) endorsement in Annexure 1 in the case of farmers' variety (vide column 1, if applicable)
(c) document of authorisation in Form PV-1 (if applicable) ;

ANNEXURE 1

Endorsement of application for registration of farmers' variety under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001

1. Name(s) of applicant farmer/ Group of farmers/Community of farmers Serial Number Name with surname/Name of Group/Name of Community:

_____

Permanent Address:_____

2. Denomination of the variety: _____

3a. (Applicable to individual farmer applicant)

I hereby declare that I have been a permanent cultivator since last many years in the .....village falling under the ..... local body/Panchayat in the ..... District of ..... State and that I and my family are the initial and exclusive developers and conservers of the candidate variety denominated as. ....., under the kind..... (Common name of crop) to the botanical species .....

3b. (Applicable to group/community of farmers applicant)

We hereby declare that we have been the permanent cultivators since last many years in the..... village(s) falling under the ..... local body/ Panchayat(s) in the .....District(s) of. .....State(s) and that we are the initial and exclusive developers and continuous conservers of the candidate variety denominated as .....under the kind ..... (Common name of crop) belonging to the botanical species..... We on behalf of our group/community hereby authorise..... s/o..... (Name), who is a member of our group/community and permanent resident of ..... (Complete postal address) to do the needful and be the signatory on our behalf for the limited purpose of securing registration of the candidate variety in our favour under Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Act, 2001.

Dated.....
Place.....

Signature and Name of the Farmer or
Authorised person of Group/Community
(To be signed before the endorsing official)

It is hereby certified that the above said candidate variety is bred / developed and continuously conserved and cultivated only by the applicant farmer / group of farmers / community of farmers who is / are permanent residents of above said village(s) and I am fully conversant with the applicant farmer / group or community of farmers and that the candidate variety is due to their efforts (strike out unwanted words given as options).

Signature
Name

Date.....
Place.....

(Chairperson / Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee OR Concerned District Agricultural Officer OR Director of Research concerned State Agricultural Universities OR Concerned District Tribal Development Office.
(With Official Rubber Stamp)".

[F. No. 1-15/2012-SD. V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt.Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) by G.S.R. 738 (E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by G.S.R. 843 (E), dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731 (E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319 (E), dated the 11th May, 2009, G.S.R. 783 (E), dated the 27th October, 2009, G.S.R. 901 (E), dated the 17th December,2009 and G.S.R. 949 (E), dated the 3rd December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.